कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला-धमतरी (छ0ग0)

E-Mail :- deo-dhamtari.cg@gov.in Tel. & Fax No. 07722-232011

क्रमांक/608 /सा.निर्वा./स्था./2017, धमतरी, दिनांक 14/09/2017

//निविदा सूचना//

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017–18 हेतु जिले के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 56–सिहावा (अजजा), 57 कुरूद एवं 58 धमतरी के फोटोयुक्त मतदाता सूची के मुद्रण कार्य एव बी.एल.ओ. वर्किंग कॉपी मुद्रण का कार्य हेतु नीचे दिये गये शर्तों के अधीन इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 28.09.2017 को सांय 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। फर्मों से प्राप्त निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक 28.09.2017 को सांय 4:00 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा के तहत् निविदाकार को अपने निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 20,000.00 (बीस हजार रूपये) मात्र किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी के नाम से देय होगा। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2017 सांय 3:00 बजे तक है। सफल निविदाकार को जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ 7 (सात) दिवस के अंदर करारनामा करना होगा एवं 20,000.00 रूपये सुरक्षित निधि के रूप में ठेकेदार को उपरोक्त कार्य के लिये जमा करना होगा। निर्धारित तिथि में मुद्रण नहीं करने पर आर्थिक दण्डा जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
2. निविदा फार्म (जिसका मूल्य 500.00 रू. है) जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन) धमतरी में किसी भी दिन (अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म में भरी निविदाएं जिला निर्वाचन कार्यालय धमतरी में दिनांक 28.09.2017 को सांय 3:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी और उसी दिन सांय 4:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
3. निविदाकार को अपने निविदा के साथ फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व. प्रमाणित प्रति (यदि कोई हो), कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, उपलब्ध साधन जैसे–कम्प्यूटर, लेजर प्रिंटर की संख्या–डिजीटल प्रिंटर, कार्य क्षमता प्रति घंटा आदि की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
4. निविदाकार को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदाकार को पेन नंबर, टीन नंबर, जीएसटी नंबर की प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन) धमतरी से प्राप्त की जा सकती है।
7. निविदाकार का 5 लाख (पांच लाख) पेज का कम्प्यूटर लेजर प्रिंटिंग का कार्य अनुभव होना चाहिए।
8. मतदाता सूची के पीडीएफ की छपाई में त्रुटि होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी का होगा।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–धमतरी

"युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण"